दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 25 नवंबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 58

महत्वपूर्ण एवं खास

एनआईए को मिली गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी, बठिंडा जेल से लिया हिरासत में

बठिंडा (आरएनएस)। बहुचर्चित पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में आरोपी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अभी कई राज उगल सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को गैंगस्टर लॉरेंस की कस्टडी मिल गई है। एनआईए ने बठिंडा जेल से लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली की एक अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिनों के लिए एनआईए की कस्टडी में भेजे जाने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि अदालत में एनआईए ने कहा कि मूसावाला हत्याकांड का विदेशी कनेक्शन है। मामले में बड़ी साजिश का अंदेशा है। मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ की जरूरत है। एनआईए ने आशंका जताई है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं। जांच एजेंसी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आतंकी संगठनों से लिंक की जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी की रडार पर कई पंजाबी गायक और संगीतकार हैं। अब गैंगस्टर बिश्नोई की कस्टडी मिलने के बाद एनआईए दिल्ली मुख्यालय में उसे लाकर उससे अहम पूछताछ कर सकती है।

मोतियाबिंद के ऑपरेशन में छह की गई आंखों की रोशनी, जांच के आदेश

कानपुर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद छह वरिष्ठ नागरिकों की आंखों की रोशनी चली जाने के बाद शहर के एक नर्सिंग होम के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सभी छह का हाल ही में आराध्या नर्सिंग होम में आयोजित नेत्र जांच शिविर में ऑपरेशन किया गया था। जिन लोगों का ऑपरेशन किया गया उनमें से छह ने रोशनी, सिरदर्द और आंखों में दर्द की शिकायत की। उन्होंने दावा किया कि वे देख नहीं सकते और उनकी आंखों में अत्यधिक दर्द हो रहा था। हंगामे के बाद सीएमओ आलोक रंजन ने पत्रकारों को बताया कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद कोई कार्रवाई की जाएगी।

बदमाशों ने दारोगा, कॉन्स्टेबल पर किया हमला, गाड़ी छोड़ हुए फरार

ग्रेटर नोएडा (आरएनएस)। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से डीजल चोरी कर रहे तीन बदमाशों ने अपनी कार से पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार कर दरोगा और कॉन्स्टेबल को घायल कर दिया। दोनों पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाश गाड़ी छोडक़र भाग गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना दनकौर क्षेत्र के अंतर्गत प्रात: पीआरवी 2647 कासना से पलवल की ओर जाने वाले पेरिफेरल पर गश्त कर रहे थे। तभी एक डस्टर कार में सवार 3 व्यक्तियों को हाइवे पर खड़े ट्रक से तेल चोरी करते हुये देखा गया। पीआरवी ने जब इनको पकडऩे का प्रयास किया तो तीनों ने पीआरवी को टक्कर मार दी जिसमें दरोगा विश्राम सिंह और कांस्टेबल यशपाल सिंह घायल हो गए। इसके बाद बदमाश गाड़ी छोड़ कर फरार हो गए। पुलिस को बदमाशों की गाडी में 6 गैलन मिले हैं जिसमें 5 खाली गैलन व एक गैलन में 50 लीटर तेल व तेल निकालने के उपकरण आदि बरामद हुए हैं। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिये टीमें गठित कर दी गयी है। पुलिस ने कहा कि शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जायेगी।

सेना में फर्जी भर्ती की जांच जारी

मेरठ (आरएनएस)। पठानकोट 272 ट्रांजिट कैंप में 108 इन्फैंट्री बटालियन टीए (प्रादेशिक सेना) महार में एक कथित सुरक्षा उल्लंघन की आंतरिक जांच का आदेश दिया गया है, जहां इस साल जुलाई से अक्टूबर तक एक फर्जी भर्ती में तैनाती की गई थी। सेना के अधिकारियों ने कहा कि, जांच उन खामियों पर ध्यान केंद्रित करेगी जो सुरक्षा उल्लंघन का कारण बनीं, फर्जी भर्ती को 12,500 रुपये प्रति माह का वेतन कैसे दिया गया, कैसे उच्च सुरक्षा क्षेत्र में इतने लंबे समय तक उसका पता नहीं चला और वह कैसे इंसास राइफल तक पहुंच गया। जांच रैकेट में शामिल रैंक के भीतर अन्य कर्मियों के शामिल होने की संभावना पर भी गौर करेगी। सैन्य खुफिया (एमआई) के इनपुट के एक दिन बाद 108 इन्फैंट्री बटालियन टीए के पूर्व संतरी राहुल सिंह और उनके दो साथियों में से एक बिट्टू सिंह को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। राहुल ने कथित तौर पर गाजियाबाद स्थित सेना के उम्मीदवार मनोज कुमार से यह वादा करके 16 लाख रुपये लिए कि वह उसे सेना में नौकरी दिलाने में मदद करेगा।

सीमा पर गोलीबारी : मेघालय में मोबाइल इंटरनेट सेवा शनिवार तक बंद

शिलांग (आरएनएस)। पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में असम पुलिस की गोलीबारी में मेघालय के पांच नागरिकों और असम के एक वन रक्षक की मौत के बाद मंगलवार को मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं के निलंबन का आदेश दिया गया था, जिसे मेघालय के 7 जिलों में शनिवार सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गुरुवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मेघालय के गृह सचिव सी.वी.डी. डेंगदोह ने एक अधिसूचना में कहा कि पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले के मुकरोह गांव में गोलीबारी की घटना से सार्वजनिक शांति भंग होने और सात जिलों में सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पैदा होने की संभावना है।

अधिसूचना में कहा गया- व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्प और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि का उपयोग फोटो, वीडियो और भडक़ाऊ संदेशों के लिए किया जा सकता है, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। शिलॉन्ग के विभिन्न हिस्सों और जयंतिया हिल्स के अन्य हिस्सों से आगजनी और असम पंजीकरण वाले वाहनों को नुकसान की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुई है।

मेघालय में शांति भंग करने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुरुवार सुबह 10.30 बजे से अगले 48 घंटों के लिए मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। जिन सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया है, वह हैं- पश्चिम जयंतिया हिल्स, पूर्वी जयंतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, री-भोई, पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स, पश्चिम खासी हिल्स और दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स।

इस बीच, अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के नेतृत्व में मेघालय कैबिनेट का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा और पूरे मुद्दे पर चर्चा करेगा। मंत्रिस्तरीय दल गोलीबारी की घटना की जांच एनआईए या सीबीआई से कराने की मांग करेगा। मेघालय कैबिनेट का प्रतिनिधिमंडल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

से भी मिलने वाला है।

कई गैर सरकारी संगठनों के विरोध के बीच, मेघालय के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिस्तरीय दल ने मुकरोह गांव का दौरा किया और प्रत्येक को 5 लाख रुपये का अनुग्रह राशि का चेक सौंपा। पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले के गांव और अंतर्राज्यीय सीमा के विभिन्न हिस्सों में तनाव व्याप्त है। एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, मेघालय सरकार ने गोलीबारी की घटना के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत एक न्यायिक आयोग गठित करने की भी घोषणा की है।

मेघालय के मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि असम पुलिस और वन रक्षकों ने मुक्रोह गांव में प्रवेश किया और गोलीबारी की, जिसमें मेघालय के पांच नागरिक और असम के वन रक्षक मारे गए।

जानकारी के मुताबिक, असम पुलिस और वन रक्षकों ने मुक्रोह गांव में लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को रोका और उसके बाद बड़ी संख्या में गांव के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस और वन रक्षकों को घेर लिया, जिसके बाद फायरिंग हुई।

असम-मेघालय सीमा हिंसा : अमित शाह से मिलेंगे सीएम संगमा

नई दिल्ली (आरएनएस) मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुवाई में मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल असम की सीमा पर हुई हिंसा की जांच सीबीआई या एनआईए को सौंपने की मांग को लेकर गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी मुलाकात कर सकता है। असम-मेघालय सीमा पर पुलिस द्वारा मंगलवार तडक़े अवैध लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को रोकने के बाद हुई हिंसा में एक वन रक्षक सहित छह लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप और जांच की मांग को लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सीएम संगमा ने एक दिन पहले कहा था कि मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और घटना की जांच के लिए डीआईजी की अगुवाई में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी मुलाकात करेगा और आवश्यक कार्रवाई के लिए घटना पर रिपोर्ट सौंपेगा। इसके अलावा असम सरकार की तरफ से भी घटना की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि असम और मेघालय का सीमा विवाद 50 साल से ज्यादा पुराना है। दोनों राज्य एक दूसरे से लगभग 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। 1970 से पहले मेघालय, असम का ही एक हिस्सा हुआ करता था। विभाजन के समय से लेकर अब तक सीमा विवाद बना हुआ है। कई इलाकों में दोनों राज्यों के बीच सहमति भी बनी है। इन सब प्रयासों के बावजूद कई बार हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं।

जम्मू-कश्मीर के सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बड़ी मात्रा में हथियार और आईईडी बरामद, ड्रोन से गिराए जाने की आशंका

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में सांबा के विजयपुर क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुवार सुबह पुलिस को एक पैकेट मिला, जिसमें आईईडी और नकदी बरामद की गई है।

जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि यह ड्रोन से गिराया गया है। एडीशनल एसपी सुरिंदर चौधरी ने बताया कि सूत्रों से क्षेत्र के एक खेत में पैकेट मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर पैकेट को खोला तो उसमें दो पिस्टल, एक आईईडी, चार मैग्जीन, और पांच लाख रुपये की नकदी मिली। पुलिस जांच में जुट गई है।

बता दें कि इससे पहले बुधवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे कई अग्रिम गांवों में तलाशी अभियान चलाया

गया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि एसओजी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सीमा पार से हाल ही में घुसपैठ के प्रयासों के बाद सीमा क्षेत्र में करीब तीन घंटे का तलाशी अभियान चलाया। अधिकारी ने कहा कि तलाशी अभियान तडक़े एसएम पोरा, रामगढ़ सेक्टर के सपवाल, चमलियाल और नारायणपुर इलाकों में चला।

मंगलुरु विस्फोट : इस्लामिक संगठन ने ली जिम्मेदारी, एक और हमले की दी चेतावनी

बेंगलुरू (आरएनएस)। एक अज्ञात इस्लामिक संगठन इस्लामिक रेसिस्टेंस काऊंसिल (आईआरसी) ने 19 नवंबर को मंगलुरु ऑटो विस्फोट की जिम्मेदारी ली और भविष्य में एक और हमले की चेतावनी दी।

जांच एजेंसियों ने इस घटनाक्रम को गंभीरता से लिया है और आतंकी नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए अभियान तेज कर दिया है।

आईआरएस ने एक बयान में गिरफ्तार आतंकी संदिग्ध को अपना भाई बताया और कहा कि मंगलुरु शहर के कादरी में एक मंदिर उनका

टारगेट था। बयान में कहा गया है, मंगलुरु भगवा आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। हालांकि इस बार हमारे प्रयास विफल रहे हैं, हम राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों को चकमा देकर एक और हमला करने के लिए तैयार होंगे।

हमारे भाई का कादरी हिंदू मंदिर पर हमला करने का प्रयास विफल रहा है। यह हमला सफल नहीं हुआ। राज्य और केंद्रीय एजेंसियां हमारे भाइयों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। वे उनका पीछा कर रहे हैं। हालांकि, हम एजेंसियों के चंगुल से निकलने में सफल रहे हैं। भविष्य में, एक और हमला किया जाएगा।

कूकर विस्फोट मामले को वैश्विक आतंकी साजिश का हिस्सा मानने वाली एजेंसियां अब इस्लामिक संगठन के दावे की पुष्टि कर रही हैं।

गौरतलब है कि धमाका 19 नवंबर को एक ऑटो में हुआ था। कूकर बम को तटीय क्षेत्र और राज्य में सांप्रदायिक तनाव को भडक़ाने के लिए बड़े पैमाने पर हमले के लिए डिजाइन किया गया था।

जांच से पता चला कि हमलावर ने शुरू में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कार्यक्रम को निशाना बनाया और बाद में आरएसएस से संबद्ध संस्थानों में से एक द्वारा आयोजित बच्चों के उत्सव में विस्फोट करना चाहता था। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने घोषणा की है कि मामला जल्द ही एनआईए को सौंप दिया जाएगा।

शादी के 26 दिन बाद पति ने रेता पत्नी का गला, बोरे में भरकर फेंका

नई दिल्ली (आरएनएस)। श्रद्धा हत्याकांड के बाद अब राजस्थान के अजमेर जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले में शादी के 25 दिन बाद एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद पति ने पत्नी की लाश को बोरे में भरकर पुष्कर में किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला अजमेर जिले के क्रिश्चियनगंज थाने का है जहां इंटरकास्ट मैरिज के 26 दिन बाद नव विवाहित महिला को उसके पति ने मौत के घाट उतार दिया।

पत्नी की हत्या के बाद जब पति उसकी लाश बोरे में भरकर ठिकाने लगाने जा रहा था तो पड़ोसी ने देख लिया और पुलिस को सूचना कर दी। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो

गया और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने पति से पूछताछ के बाद शव बरामद कर लिया है। बता दें कि क्रिश्चियन गंज थाना क्षेत्र के द्वारका नगर गली नंबर-4 में रहने वाला मुकेश सिंधी (34) नया बाजार में कपड़े की दुकान चलाता है जिसकी 26 दिन पहले ही भगवान गंज की रहने वाली जेनिफर (32) से शादी हुई थी। दोनों अलग-अलग जाति के हैं जिनकी अरेंज मैरिज हुई थी। वहीं शादी के बाद से ही दोनों के बीच लड़ाई-झगड़ा होने लगा।

दरअसल बुधवार की सुबह मुकेश और उसकी पत्नी के बीच जोरदार बहसबाजी हुई। आरोपी के पड़ोसियों ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे पति-पत्नी के बीच लड़ाई हो रही थी और जेनिफर लगातार कह रही थी कि मुझे माफ करो, अब ऐसा नहीं करूंगी। वहीं कुछ देर बाद दोनों की आवाज आनी बंद हो गई और कुछ समय बाद मुकेश घर से बाहर निकला और एक बोरा लेकर घर आया। पड़ोसियों के मुताबिक मुकेश घर के बाहर वही बोरा लेकर निकला जो स्कूटी पर रखते समय गिर गया। इसी दौरान पड़ोसी को बोरे में लाश दिखाई दी जिसके बाद फौरन पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले मुकेश ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और इस दौरान वह लगातार पति के सामने गिड़गिड़ाती रही लेकिन पति का दिल नहीं पसीजा और उसने जेनिफर का गला रेत दिया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर का ताला तोडक़र देखा तो वहां खून के निशान मिले। इसी दौरान लाश को ठिकाने लगाकर घर पहुंचा था जहां पुलिस को देख पहले उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसे कलेक्ट्रेट के पास पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में पति ने बताया कि उसने पत्नी का मर्डर कर बॉडी पुष्कर में फेंक दी है। वहीं घटना के बाद पुलिस की जांच में पता चला है कि मुकेश ने तीन साल पहले यह घर खरीदा था और अक्सर दोनों घर में ही बंद रहते थे। फिलहाल आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है।

पहचान को सबूत के रूप में स्वीकार करने से पहले आधार को सत्यापित करें : यूआईडीएआई

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए कहा है कि किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार स्वीकार करने से पहले, संबंधित संस्थाओं को इसे सत्यापित करना चाहिए। यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार धारक की सहमति के बाद आधार संख्या का सत्यापन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आधार (आधार पत्र, ई-आधार, आधार पीवीसी कार्ड और एम-आधार) के किसी भी रूप की वास्तविकता स्थापित करने के लिए सही कदम है। अधिकारियों ने कहा कि यह बेईमानों और असामाजिकों को किसी भी संभावित दुरुपयोग में शामिल होने से रोकता है। यह उपयोग स्वच्छता को भी बढ़ावा देता है और यूआईडीएआई के इस रुख पर जोर देता है कि कोई भी 12-अंकीय संख्या आधार नहीं है। आधार दस्तावेजों की छेड़छाड़ ऑफलाइन सत्यापन द्वारा पता लगाया जा सकता है, और छेड़छाड़ एक दंडनीय अपराध है और आधार अधिनियम की धारा 35 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है। यूआईडीएआई ने राज्य सरकारों से उपयोग से पहले सत्यापन की आवश्यकता पर जोर देने का अनुरोध किया है, और राज्यों से आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया है ताकि जब भी आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग करते हुए संबंधित इकाई द्वारा निवासी का प्रमाणीकरण/सत्यापन किया जाए। अधिकारियों ने कहा कि यूआईडीएआई ने अनुरोध करने वाली संस्थाओं, प्रमाणीकरण/सत्यापन करने के लिए अधिकृत और अन्य संस्थाओं को सत्यापन की आवश्यकता पर जोर देने और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सकरुलर भी जारी किया है।

छत्तीसगढ़ की नवीन मछली पालन नीति केबिनेट में मंजूर... नीलामी नहीं, अब मछली पालन के लिए 10 वर्षीय पट्टे पर दिए जाएंगे तालाब और जलाशय

- **सामान्य क्षेत्र में मछुआ समुदाय धीवर (ढ़ीमर), निषाद (केंवट), कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह और मत्स्य सहकारी समिति आबंटन में प्राथमिकता**
- **अधिसूचित क्षेत्रों में जनजाति वर्ग के मछुआ समूह और मत्स्य सहकारी समिति को आबंटन में प्राथमिकता**
- **प्रति सदस्य जलक्षेत्र आबंटन सीमा में कमी से लाभान्वितों की संख्या हो जाएगी दोगुनी**

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन मछली पालन नीति में मछुआरा के हितों को ध्यान में रखते हुए संशोधन को मंजूरी दी गई। मछुआ समुदाय के लोगों की मांग और उनके हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से नवीन मछली पालन नीति में तालाब और जलाशयों को मछली पालन के लिए नीलामी करने के बजाय लीज पर देने के साथ ही वंशानुगत-परंपरागत मछुआ समुदाय के लोगों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों के जलक्षेत्र आबंटन सीमा में

50 फीसद की कमी कर ज्यादा से ज्यादा मछुआरों को रोजी-रोजगार से जोडऩे का प्रावधान किया गया है। प्रति सदस्य के मान से आबंटित जलक्षेत्र सीमा शर्त घटाने से लाभान्वित मत्स्य पालकों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। संशोधित नवीन मछली पालन नीति के अनुसार मछली पालन के लिए तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों की अब नीलामी नहीं की जाएगी, बल्कि 10 साल के पट्टे पर दिए जाएंगे। तालाब और जलाशय के आबंटन में सामान्य क्षेत्र में ढ़ीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को तथा अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। मछुआ से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो अपनी अजीविका का अर्जन मछली पालन, मछली पकडऩे या मछली बीज उत्पादन का कार्य करता हो, के तहत वंशानुगत-परंपरागत धीवर (ढ़ीमर), निषाद (केंवट), कहार, कहरा, मल्लाह को प्राथमिकता दिया जाना प्रस्तावित है। इसी तरह मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति अथवा मछुआ व्यक्ति को ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम एक हेक्टेयर के स्थान पर आधा हेक्टेयर जलक्षेत्र तथा सिंचाई जलाशय के मामले में चार हेक्टेयर के स्थान पर दो हेक्टेयर जलक्षेत्र प्रति सदस्य/प्रति व्यक्ति के मान से आबंटित किया जाएगा। मछली पालन के लिए गठित समितियों का ऑडिट अभी तक सिर्फ सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता था। अब संशोधित नवीन मछली पालन नीति में सहकारिता एवं मछली पालन विभाग की संयुक्त टीम ऑडिट की जिम्मेदारी दी गई है। त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था अंतर्गत शून्य से 10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब एवं सिंचाई जलाशय को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर आबंटित करने का अधिकार ग्राम पंचायत का होगा। जनपद पंचायत 10 हेक्टेयर से अधिक एवं 100 हेक्टेयर तक, जिला पंचायत 100 हेक्टेयर से अधिक एवं 200 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक, मछली पालन विभाग द्वारा 200 हेक्टेयर से अधिक एवं 1000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के जलाशय, बैराज को मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को पट्टे पर देगा। नगरीय निकाय अंतर्गत आने वाले समस्त जलक्षेत्र नगरीय निकाय के अधीन होंगे, जिसे शासन की नीति के अनुसार 10 वर्ष के लिए लीज पर आबंटित किया जाएगा।